शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) 474001

छात्रावास

प्रवेश हेतु दिग्दर्शिका

मूल्य : 50/-

शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) 474001

छात्रावास का परिचय :

महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा है। 350 छात्राओं की व्यवस्था है। सभी कमरे स्वच्छ एवं हवादार हैं। छात्रावास में दो मनोरंजन कक्ष हैं। एक भोजन कक्ष है। छात्राओं के व्यक्तित्व-विकास, स्वास्थ्य एवं अध्ययन का उत्तम वातावरण है।

नियमावली

प्रवेश की पात्रता :

1. महाविद्यालय में प्रवेश होने के उपरांत ही छात्रावास में प्रवेश विचारणीय होगा।
2. प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर एक शिक्षा सत्र के लिये ही दिया जायेगा।
3. पूर्व सत्र की छात्रावासी छात्राओं को नवीन सत्र में भी छात्रावास में स्थान प्राप्त होगा, किन्तु अनुत्तीर्ण छात्राओं को यह पात्रता नहीं होगी, अनुशासनहीनता एवं अन्य कारणों से छात्रावास में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
4. स्थानीय छात्रा, वृहत्तर ग्वालियर परिक्षेत्र के अन्दर के निवासी तथा दूसरी संस्थाओं की छात्राओं एवं विवाहित छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
5. सत्र के बीच में (प्रवेश से परीक्षा समाप्ति तक) छात्रावास छोड़ने पर अगले सत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. छात्रावासी छात्रायें अच्छे आचरण, अनुशासित और नियमित देय शुल्क के भुगतान की शर्तों पर रह सकेंगी।
7. (अ) कोई संक्रामक रोग अथवा क्रॉनिक बीमारी ज्ञात होने पर छात्रावास छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(ब) रेगिंग, ड्रग्स का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, तंबाकू सेवन, घातक अस्त्र-शस्त्र रखना, अवांछनीय गतिविधियां, अनर्गल वार्तालाप टेपरिकार्डर, इलेक्ट्रिक प्रेस, गैस सिलेण्डर, हीटर इत्यादि रखना, छात्रावास के प्रति अनिष्ठा, विद्युत तथा शौचालय की व्यवस्था भंग करना, हड़ताल, गैर कानूनी तथा असामाजिक गतिविधियों में भाग लेना बाह्य व्यक्ति या छात्रा को छात्रावास में प्रवेश करवाना, छुपाकर रखना जैसे कार्यों के कारण छात्रा को छात्रावास से निष्कासित करने का पूरा अधिकारी प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षिका को है।

8. शासन के निर्देशानुसार छात्रावास अधीक्षिका छात्रावास की व्यवस्था पूर्ण प्रभारी रहेंगी।

9. यदि छात्रा छात्रावास अधीक्षिका की अनुमति के बिना छात्रावास में न रहकर अन्यत्र बाहर रहकर महाविद्यालय में आती है, कक्षाओं में जाती है तो इस अनुशासनहीनता के कारण उसे छात्रावास से तुरन्त निष्कासित किया जायेगा।

प्रवेश की प्रक्रिया :

1. (अ) छात्रावास में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जायेगा जो छात्रावास कार्यालय से प्राप्त होगा।

   (आ) छात्रावास का आवेदन-पत्र जमा करते समय उसके साथ ही छात्रा की अंक सूची की छायाप्रति, दो छायाचित्र नवीनतम, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC) की जमा करें।

   (इ) स्थानीय अभिभावक के छायाचित्र व हस्ताक्षर का सत्यापन माता/पिता द्वारा अनिवार्य होगा।

2. महाविद्यालय में प्रत्येक कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के सात दिन के अंदर छात्रावास कार्यालय के बाहर क्रमवार सूची बोर्ड पर लगाई जायेगी। गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश छात्रावास में स्थान रिक्त रहने तक लागू रहेगा।

3. (अ) छात्रावास, प्रवेश सूची में नाम आने के बाद सूची में निर्धारित शुल्क, निर्धारित तिथि तक जमा करें।

(आ) छात्रावास में प्रवेश–प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर छात्रा को छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

(इ) निर्धारित शुल्क जमा करते समय छात्रा के माता–पिता व स्थानीय अभिभावक अनिवार्य रूप से आयें तथा पर्याप्त समय देने को तैयार रहें।

सामान्य :

छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद ही छात्रायें अपना सामान लायें।

(अ) छात्रायें अपने दैनिक उपयोग की समस्त सामग्री साथ लायेंगी। (पहनने, ओढ़ने, बिछाने के कपड़े, मच्छरदानी, टेबिल क्लॉथ, टेबिल लैम्प, पीने का पानी रखने के लिये घड़ा, कपड़े नहाने–धोने के लिये बाल्टी, मग आदि। सफाई के लिये उपयोगी वस्तुएँ तथा अपने आवश्कतानुसार प्लेट, चम्मच आदि सभी सामान रखेंगी)।

(ब) छात्रा को अपने कमरे की व सभी प्रकार की सफाई रखना छात्रा का कर्त्तव्य होगा। (अपने कपड़े, बर्तन आदि छात्रा स्वयं साफ रखेंगी)।

(इ) छात्रावास में हीटर, प्रेस, टेपरिकार्डर, वॉकमैन आदि विद्युत उपकरण, गैस सिलेण्डर रखना वर्जित है।

(ई) छात्रा कोई भी बहुमूल्य आभूषण या अन्य अशोभनीय वस्त्र नहीं पहनेंगी।

3. छात्रावास में प्रवेश हो जाने पर छात्रा को दो गुलाबी सलवार, कुर्ते, ओढ़नी और एक सफेद सलवार कुर्ता, राजस्थानी प्रिंट की ओढ़नी लाना अनिवार्य है तथा शाम को उपस्थिति सभा में गुलाबी सलवार कुर्ता ओढ़नी पहनना अनिवार्य है।

4. **भोजन व्यवस्था :**

छात्रावास में भोजन करना अनिवार्य है।

(1) छात्रावास में मैस से प्रतिदिन सुबह-शाम चाय एवं भोजन, शाम-नाश्ता तथा रविवार को फीस्ट मिलेगा।

(2) भोजन व्यवस्था तथा मैस के प्रबंध में बारी-बारी से छात्राओं का सहयोग लिया जाता है।

(3) छात्रा खान-पान में सावधानी बरतते हुये ऐसी कोई भी सामग्री या पदार्थ का सेवन नहीं करेगी जो उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद हो या छात्रावास से संबंधित व्यक्तियों को आपत्ति हो। यदि ऐसा करती है तो उसे छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा।

(5) छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा के लिये दो महिला सुरक्षाकर्मी की भी व्यवस्था है।

(6) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये शासन द्वारा उड़ान कोचिंग की व्यवस्था महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क की गयी है।

(7) छात्रावास में फैक्स की मशीन की सुविधा उपलब्ध है। फैक्स नं. 0751-2435101

~~(8) छात्रावास में एक चिकित्सक और नर्स की भी व्यवस्था है।~~

(9) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

अवकाश :

(1) माता अथवा पिता द्वारा उचित कारण दर्शाने पर छात्रा को अवकाश पर जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) छात्रावास से अवकाश पर या अपने निवास स्थान पर जाते समय छात्रा को माता-पिता तथा स्थानीय अभिभावक के साथ ही जाने दिया जायेगा।

(3) अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि उसी दिन छात्रा नहीं आती और न ही अनुपस्थिति सम्बन्धी कोई सूचना मिलती है तो अधीक्षकों के अधिकार होगा कि उस छात्रा के प्रवेश को निरस्त कर दें।

(4) अवकाश की समाप्ति उपरांत छात्रा को छात्रावास में प्रवेश शांम 6 बजे तक ही दिया जायेगा।

1. छात्रावास में प्रवेश लेने के उपरान्त यदि किसी कारणवश छात्रा बीच सत्र में छात्रावास छोड़ती है तथा छात्रावास का शुल्क भुगतान कर चुकी है तो उसे छात्रावास छोड़ने पर शुल्क वापिस नहीं होगा।
2. शीत ऋतु में छात्रा को स्नान हेतु गरम पानी दिया जायेगा, किन्तु उसके लिये कोई शुल्क देय नहीं होगा।
3. एक बार शुल्क जमा हो जाने पर सुरक्षा–निधि को छोड़कर अन्य राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. भोजन तथा बिजली–पानी शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
5. अस्वस्थ होने पर डॉक्टर की फीस, दवा, आवश्यकतानुसार आने–जाने का व्यय, फल, दूध तथा रोग के अनुसार चिकित्सक द्वारा बताई खाद्य सामग्री, टॉनिक आदि का समस्त व्यय छात्रा स्वयं करेगी।
6. छात्रावास छोड़ने के बाद यदि कोई कटौती होना है, तो वह काटकर छात्रा को सुरक्षा निधि वापस दे दी जायेगी।
7. आवश्यकतानुसार सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि का अधिकार संस्था प्रमुख को होगा।

छात्रावास छोड़ना :

- छात्रावास छोड़ने के कम से कम 15 दिन पहले छात्रा के माता या पिता अधीक्षिका को लिखित में इस आशय की सूचना देंगे। उक्त सूचना में वे बतालायेंगे कि किस दिनांक व समय पर छात्रा को लेने आयेंगे।
- छात्रावास छोड़ते समय चौकीदार को रुपये आदि किसी प्रकार की टिप नहीं देंगे।

अनुशासन

1. छात्रावासी पूरी तरह प्राचार्य एवं अधीक्षिका के नियंत्रण में रहकर इस महाविद्यालय की उच्च परम्पराओं का पालन करेंगी।
2. वे जाति धर्म, भाषा, आर्थिक- सामाजिक वर्गीकरण, प्रांतीयता आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की भावना न रखकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देंगी।
3. कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक आयोजन अधीक्षिका की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेंगी।
4. पोशाक, चाल-ढाल, बोलचाल आदि गरिमामय हो।
5. नियमित, रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा कक्षा में 80 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त करना छात्रा का दायित्व होगा। यदि छात्रावास में रहते हुये छात्रा (बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त) महाविद्यालय की कक्षाओं में अनुपस्थित रहती है तो उसे छात्रावास से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा।
6. नियमित रूप से छात्रावास की सभा में उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि छात्रा छात्रावास की सभा में अनुपस्थित रहती है तो उसे छात्रावास से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाये।
7. प्राचार्य, अधीक्षिका समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी छात्राओं से सहानुभूति रखेंगे उनका मार्गदर्शन करेंगे व उनकी हर सम्भव सहायता करेंगे। छात्राओं से भी अपेक्षा है कि वे इसका भरपूर लाभ उठाकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगायें। अनुशासन को अपने जीवन का अंग बनायें एवं कुलीन परम्पराओं का अनुसरण करें ताकि बाद में उन्हें अपने छात्रावास जीवन पर गर्व हो।
8. छात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाई जाने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

नोट : इसकी एक प्रति माता-पिता अपने पास रखें तथा यह प्रति छात्रा के साथ रखवा दें।

1. प्रत्येक शनिवार को प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक छात्रा से केवल माता-पिता/ स्थानीय अभिभावाक ही भेंट कर सकेंगे।
2. प्रत्येक माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार को ही छात्रावास अधीक्षिका की अनुमति से छात्रा को केवल माता/पिता/स्थानीय अभिभावक प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक छात्रावास से बाहर बाजार इत्यादि हेतु ले जा सकेंगे।
3. माता/पिता/स्थानीय अभिभावक मुख्य द्वार पर अपना छात्रावास का प्रवेश कार्ड चौकीदार/गनमैन को दिखाकर महाविद्यालय परिसर/छात्रावास परिसर में प्रवेश ले सकेंगे।
4. अन्य रिश्तेदारों या पहचान के व्यक्तियों को तथा बिना परिचय-पत्र के छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
5. छात्रा को माता-पिता के अनुमति पत्र द्वारा ही छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति होगी। फैक्स या डाक द्वारा पत्र को ही मान्य किया जायेगा।
6. विभिन्न पर्वों पर माता-पिता एवं स्थानीय अभिभावक स्वयं छात्रा को लेकर जायेंगे।
7. विशेष परिस्थिति, बीमारी आदि में घर ले जाने हेतु माता-पिता का आना अनिवार्य होगा।
8. एन.सी.सी., एन.एस.एस. खेलकूद, सांस्कृतिक, विभागीय गतिविधि में वाहर जाने हेतु पृथक से माता-पिता का स्वीकृत पत्र आना अनिवार्य होगा। प्राइवेट खेल, कोचिंग तथा अन्य गतिविधियों में प्रतियोगिताओं में जाने की अनुमति छात्रावास से नहीं दी जायेगी।
9. सत्र के वीच में छात्रावास छोड़ने पर अगले सत्र में छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. कॉलेज एवं छात्रावास में कल तथा अनुशासनहीनता के कार्यों में लिप्त पाये जाने पर छात्रावास से त्वरित निष्कासन कर दिया जायेगा।
11. छात्रावास में चोरी, मेस में चोरी, लड़ाई-झगड़े, छात्रावास में रेगिंग एवं अनुशासनहीनता में लिप्त पाये जाने पर छात्रावास से तुरन्त निष्कासित कर दिया जायेगा। अनर्गल वार्तालाप करने पर भी निष्कासित कर दिया जायेगा।

सत्र 2018–19

क्र.	मद	रुपये		
1.	प्रवेश शुल्क	500/–	प्रतिवर्ष	2700/–
2.	सुरक्षा निधि	200/–	प्रतिवर्ष	
3.	संधारण निधि	**2000/–**	प्रतिवर्ष	
4.	स्थापना शुल्क	**500/–**	प्रतिमाह	4000/-
5.	भोजन, चाय एवं नाश्ता	**2500/–**	प्रतिमाह	
6.	बिजली, पानी, अखबार, पत्रिका	**1000/–**	प्रतिमाह	

प्रवेश के समय कुल रु. **6700/–** बाद में 10 माह की फीस **4000/–** प्रतिमाह के हिसाब से कुल योग रु. **40000/–** होगी। इस तरह छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के समय रु. **2700/–** प्रतिवर्ष के आधार पर केवल एक ही बार शुल्क देना होगा तथा रु. **4000/–** प्रतिमाह के हिसाब से **मई** माह तक का शुल्क देना होगा। देय शुल्क शासन के नियमानुसार वापस नहीं होगा। यदि छात्रा कक्ष में कूलर लगाती है तो प्रतिमाह रु. 300/– अतिरिक्त बिजली शुल्क देना होगा।

यदि छात्रा जून माह मे उचित कारण एवं प्रशासन की अनुमति से रुकना चाहती है तो प्रति दिविस के हिसाब से भुगतान करना होगा।